

# झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

बीए नंबर 94/2020

-----

बीरबल यादव

... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

.....विपक्षी पार्टी

कोरम: माननीय न्यायाधीश श्रीरोंगन मुखोपाध्याय

.....

याचिकाकर्ता के लिए : श्री केएस नंदा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री बीरेंद्र बर्मन, एपीपी

02/16. 01. 2020 श्री केएस नंदा, याचिकाकर्ता के लिए विद्वत अधिवक्ता और श्री बीरेंद्र बर्मन, राज्य के लिए विद्वान एपीपी को सुना।

याचिकाकर्ता पालकोट पीएस केस नंबर 40/2017 तदनुसार विशेष जीआर केस नंबर 567/2017 के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि बदमाशों ने एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी थी और चर्चे भी छोड़ दिए थे और लेवी की मांग की थी।

यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को सह-अभियुक्त मुकेश चिक बराईक के कबूलनामे पर फंसाया गया। सह-अभियुक्तों में से एक पीयूष एक्का को इस अदालत ने के बीए नंबर 9849/2017 में जमानत दे दी है। याचिकाकर्ता 14.09.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संबंध में, यह निर्देश दिया जाता है कि उपरनामित याचिकाकर्ता को 10,000/- (केवल दस हजार रुपये ) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभु प्रस्तुत करने पर, विद्वान ए.सी.जे.एम., गुमला की संतुष्टि पर पालकोट पीएस केस नंबर 40/2017 तदनुसार विशेष जीआर केस नंबर 567/2017 में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

(आर. मुखोपाध्याय, जे.)

आलोक/-